



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1422

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 40625 वर्ष 2025

राम प्रकाश

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अखिलेश श्रीवास्तव, सक्षम श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सक्षम श्रीवास्तव और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. श्री बृजेंद्र त्रिपाठी की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आरोपी-

आवेदक राम प्रकाश की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 650/2025 में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शस्त्र अधिनियम की धारा 3/5/25 के तहत, पुलिस स्टेशन-क्वारसी, जिला अलीगढ़ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 1 अगस्त 2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी योगेश को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 40205/2025 के तहत दिनांक 12 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले उपरोक्त सह-आरोपी को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदक **राम प्रकाश** को, मुकदमा अपराध संख्या के संबंध में, जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करे और दो विश्वसनीय जमानतदार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत करे, जिनकी राशि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

6 जनवरी, 2026

दीपक/

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।